

न्यायालय-द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 चंदेरी जिला अशोकनगर(म0प्र0)
पीठासीन अधिकारी:-साजिद मोहम्मद

व्यवहारवाद कमांक-68ए/2016
संस्थित दिनांक- 16.06.2015

1.	मुन्नीबाई पुत्री कलुआ पत्नी रामसिंह जाति अहिरवार आयु 45 साल पेशा खेती निवासी ग्राम महोली तहसील चन्देरी जिला अशोकनगर म0प्र0
वादी
	बनाम
1.	श्रीमान जिला वनमण्डाधिकारी महोदय वनमण्डल जिला अशोकनगर म0प्र0
2.	श्रीमान डिप्टी रेन्जर महोदय रेन्ज चौकी महोली रेन्ज चन्देरी जिला अशोकनगर म0प्र0
3.	म0प्र0 शासन द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला अशोकनगर म0प्र0
4.	श्रीमान पटवारी महोदय पटवारी ग्राम महोली तहसील व चन्देरी जिला अशोकनगर म0प्र0
प्रतिवादीगण

-----:: / / निर्णय / / ::-----

{आज दिनांक:- 18.02.2017 को घोषित किया गया}

01- यह दावा वादी की ओर से ग्राम महोली तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्र0 161/2/6 रकवा 0.500 है0 (जिसे सुविधा की दृष्टि से आगे वादग्रस्त भूमि कहा जाएगा) भूमि वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की है जिसका वादपत्र के साथ नक्शा संलग्न होकर विवादग्रस्त भूमि है जिसे लाल स्याही से चिन्हित किया गया है, पर स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा, एवं प्रतिवादीगण को उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने से निषेधित करने हेतु प्रस्तुत किया है।

02- वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि, ग्राम महोली तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्र0 161/2/6 रकवा 0.500 है0 भूमि वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की है जिसे वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शे में

लाल स्याही से चिन्हित किया गया है। उक्त विवादग्रस्त भूमि पर वादी के पिता को तहसील चंदेरी से लगभग 50 वर्ष पूर्व भूमि स्वत्व का पट्टा प्राप्त हुआ था। पट्टा मिलने के पश्चात वादी तथा उसके पिता ने विवादग्रस्त भूमि पर काफी मेहनत व पैसा खर्च करके भूमि को काबिल कास्त बनाया है। वादी के पूर्व विवादग्रस्त भूमि पर वादी के पिता कलुआ काबिज थे। कलुआ का कोई पुत्र नहीं था इस कारण कलुआ ने अपने जीवन काल में वादिया को उसकी शादी करने के बाद ग्राम महोली अपने पास बुला लिया था। विवादग्रस्त भूमि में पक्की मेढे बनी हुई है। प्रतिवादीगण 1 व 2 एवं उनके अधिनस्थ कर्मचारी ने 50 वर्ष से कभी भी वादी एवं उसके पिता को विवादग्रस्त भूमि पर खेती करने से नहीं रोका। दिनांक 24.08.2014 से प्रतिवादीगण विवादग्रस्त भूमि को वन भूमि बता रहे हैं। वादी ने विवादग्रस्त भूमि के सीमांकन कराने हेतु तहसील चंदेरी में विधिवत आवेदन दिया है किन्तु प्रतिवादीगण वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं एवं शांति पूर्ण कास्त नहीं करने दे रहे हैं।

03— प्रतिवादी क्र० 1 व 2 व उनके अधिनस्थ कर्मचारी एवं वन अमले ने दिनांक 24.08.2014 को विवादग्रस्त खेत पर आकर जबरन वादी की फसल को उजड़वा दिया। वादी एवं उसके पति ने मना किया तो बंद कराने की धमकी देने लगे। दिनांक 10.06.2015 को जब वादी खेत जोतने गई तो प्रतिवादी क्र० 1 व 2 एवं उनके अधिनस्थ कर्मचारी विवादग्रस्त भूमि पर एक राय होकर आ गये एवं धमकी दी कि उक्त भूमि वादी के स्वत्व की नहीं है और उक्त भूमि को वन विभाग की भूमि बतलाने लगे और आगामी फसल बोने पर ट्रैक्टर जप्त करने और बंद कराने की धमकी दी।

04— वाद कारण दिनांक 24.08.2014 को प्रतिवादीगण 1 व 2 के अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर आकर वादी की उड़द की फसल उजड़वाने एवं दिनांक 10.06.2015 को वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि को वन विभाग की भूमि बतलाने एवं वादी एवं उसके परिवार को खेत जोतने से मना करना, फसल बोने पर ट्रैक्टर जप्त करने एवं परिवार वालों को बंद करवाने की धमकी कके कारण उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा धारा 80 सीपीसी का सूचना पत्र भी प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 4 को प्रेषित किया था। वादग्रस्त भूमि राजस्व विभाग की भूमि है जिसपर राजस्व विभाग द्वारा वादी के पिता कलुआ को पट्टा दिया गया था एवं राजस्व विभाग द्वारा वादी से लगान आदि दिया जाता है। वादी द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर वादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम महोली तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्र० 161/2/6 रकबा 0.500 है० भूमि पर वादी द्वारा स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा, एवं प्रतिवादीगण को उक्त भूमि पर

किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने से निषेधित करने हेतु प्रस्तुत किया है।

05— प्रकरण में प्रतिवादी क्र० 3 व 4 की ओर से जबाब दावा प्रस्तुत नहीं किया है। प्रतिवादी क्र० 1 व 2 वन विभाग की ओर से जबाब दावे में व्यक्त किया कि वन विभाग में सर्वे क्र० प्रचलित नहीं है तथा उक्त विवादग्रस्त भूमि वन विभाग के कक्ष क्रमांक पीएफ 89 बीट महोली के अन्तर्गत आती है तथा वादी द्वारा जो नक्शे में उक्त भूमि को लाल स्याही से अंकित किया गया है वह वन भूमि है, जिसे वादी ने बेवजह वादग्रस्त भूमि बनाया है। राजस्व विभाग को वन विभाग की भूमि पर पट्टा प्रदान करने का कोई अधिकार नहीं था और किसी भी पट्टे को राजस्व विभाग द्वारा प्रदान करते समय वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है। वादी उक्त भूमि पर कभी भी काबिज नहीं रही है। वादी द्वारा यदि वादग्रस्त भूमि पर पक्की मेढे बिना वन विभाग की अनुमति के बनाई गई हो तो वह वन विभाग के मुकाबले व्यर्थ एवं अवैधानिक है। वादी ने वन विभाग की उपस्थिति में कभी भी उक्त भूमि का सीमांकन नहीं कराया है जिससे वादी की भूमि मौके पर स्पष्ट हो सके।

06— प्रतिवादीगण ने किसी भी दिनांक को फसल नहीं उजड़वाई है। वाद कारण किसी भी दिनांक को उत्पन्न नहीं होता है तथा मिथ्या दिनांक का उल्लेख करने से वादी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। वादी द्वारा वाद का मूल्यानुसार न्यायालय शुल्क जमा नहीं किया गया है। वादी द्वारा वन विभाग की वन विभाग द्वारा बोए गए बीज नष्ट कर दिये हैं जिससे विभाग को लगभग 50 हजार रुपये की क्षति हुई है। अतः वाद सव्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

07— उभयपक्ष के अभिवचन व प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्नलिखित वादप्रश्नों की विरचना की गई जिनके निष्कर्ष विवेचना उपरान्त उनके सम्मुख अंकित किये गये :-

1.	क्या ग्राम महोली, तहसील चन्देरी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 161/2/6 रकबा 0.500 हैक्टेयर भूमि जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है, का वादी के पिता कलुआ को पट्टा हुआ था ?	प्रमाणित नहीं
2	क्या वादी ग्राम महोली में स्थित वादग्रस्त भूमि की स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है ?	प्रमाणित नहीं

3	क्या प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 द्वारा वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य की वादग्रस्त भूमि में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है ?	प्रमाणित नहीं
4	क्या वादग्रस्त भूमि वनविभाग के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 89 बीट महोली के अंतर्गत की वनभूमि है ?	प्रमाणित नहीं
5.	सहायता एवं व्यय ?	पैरा 20 के अनुसार वादी का दावा निरस्त

-----:://सकारण निष्कर्ष//::-----

वाद प्रश्न क0 1 :-

08— वादप्रश्न क0 1 को साबित करने का भार वादी में निहित है। मुन्नीबाई वा0सा02 ने उसके दावे में व्यक्त किया कि ग्राम महोली तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क0 161/2/6 रकवा 0.500 है0 भूमि उसके स्वामित्व व आधिपत्य की है जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल स्याही से चिह्नित किया गया है। उक्त विवादग्रस्त भूमि पर वादी के पिता कलुआ काबिज रहे एवं वादी के पिता को तहसील चंदेरी से लगभग 50 वर्ष पूर्व भूमि स्वामी स्वत्व का पट्टा प्राप्त हुआ था। पट्टा प्राप्त होने के पश्चात वादी एवं उसके पिता ने काफी मेहनत एवं पैसा खर्च करके भूमि को काबिल कास्त बनाया। उक्त विवादग्रस्त भूमि से प्रतिवादी क0 1 व 2 का कोई संबंध नहीं है तथा विवादग्रस्त भूमि राजस्व विभाग की भूमि थी तथा राजस्व विभाग द्वारा ही वादी के पिता कलुआ को पट्टा दिया गया था और राजस्व विभाग द्वारा ही वादी से लगान आदि लिया जाता है।

09— प्रतिवादी क0 1 व 2 की ओर से जबाब दावे में व्यक्त किया कि विवादग्रस्त भूमि वन विभाग के कक्ष क0 पीएफ 89 बीट महोली की अन्तर्गत आती है तथा वन भूमि पर राजस्व विभाग को कोई पट्टा 50 वर्ष पूर्व अथवा कभी भी प्रदान करने का कोई भी अधिकार नहीं है तथा राजस्व विभाग को पट्टा प्रदान करते समय वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है। वादी साक्षी रामनिवास, स्वयं वादिया मुन्नीबाई एवं रामसिंह ने उनके द्वारा प्रस्तुत मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में व्यक्त किया कि विवादग्रस्त भूमि वादी मुन्नीबाई को उसके पिता कलुआ से प्राप्त हुई है तथा कलुआ को राजस्व विभाग ने पट्टा प्रदान किया था। परन्तु प्रकरण में वादी की ओर से कथित पट्टा प्रस्तुत नहीं किया है।

10— वादी साक्षी रामनिवास ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में व्यक्त किया कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि विवादग्रस्त भूमि का पट्टा कलुआ को हुआ था या नहीं। स्वयं वादी मुन्नीबाई द्वारा उसके मुख्य परीक्षण में इस बात का उल्लेख नहीं किया कि विवादग्रस्त भूमि का उसके पिता कलुआ को राजस्व विभाग की ओर से पट्टा दिया था। वादी मुन्नीबाई ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 7 में व्यक्त किया कि उसने प्रकरण में उसके दादा को जो पट्टा हुआ था वह पेश नहीं किया है। इस प्रकार वादी स्वयं एक तरफ अपने अभिवचन में पिता कलुआ को पट्टा होना व्यक्त करती है। वही दूसरी ओर प्रतिपरीक्षण में दादा को पट्टा होना व्यक्त करती है तथा यदि राजस्व विभाग की ओर से वादी मुन्नीबाई के पिता कलुआ या दादा को कोई पट्टा हुआ था तो उक्त पट्टे को न्यायालय में क्यों प्रस्तुत नहीं किया। इस संबंध में भी कोई अभिवचन नहीं किये हैं।

11— यहाँ साक्ष्य आधिनियम की धारा 91 का भी उल्लेख किया जाना उचित होगा जिसके अनुसार जबकि किसी संविदा के या अनुदान के या किसी सम्पत्ति के किसी अन्य व्ययन के निबंधन दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध कर लिये गये हो तब, उन सब दशाओं में, जिनमें विधि द्वारा अपेक्षित है कि कोई बात दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध की जाये, ऐसे संविदा, अनुदान या सम्पत्ति के अन्य व्ययन के अन्य व्ययन के निबंधनों के या ऐसा वाद के साबित किये जाने के स्वयं उस दस्तावेज के सिवाय, या उन दशाओं में जिनमें एतस्मिपूर्व अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन द्वितीय साक्ष्य ग्राह्य है उनकी अंतवस्तु के द्वितीय साक्ष्य के सिवाय, कोई भी साक्ष्य नहीं दी जायेगी।

12— अतः ऐसी भूमि के व्ययन के लिये पट्टा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है जो कि वादी के अनुसार हुआ है, परन्तु यदि उक्त दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं है तो उक्त दस्तावेज के माध्यम से हुये समव्यवहार के संबंध में मौखिक साक्ष्य ग्राह्य नहीं की जा सकती है। तब ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि विवादग्रस्त भूमि सर्वे क्र० 161/2/6 रकबा 0.500 है० भूमि के संबंध में वादी के पिता कलुआ को पट्टा हुआ था। अतः वाद प्रश्न क्र० 1 का निराकरण **प्रमाणित नहीं** के रूप में किया जाता है।

वाद प्रश्न क्र० 2 व 3 :-

13— वादप्रश्न क्र० 2 व 3 एक दूसरे से संबंधित होने से व साक्ष्य का उन्ही बिन्दुओं पर पुनरावृत्ति को रोकने के दृष्टिकोण से उनका एक साथ विश्लेषण किया जा रहा है। वादप्रश्न क्र० 2 व 3 को साबित करने का

भार वादी में निहित है। मुन्नीबाई वा0सा02 ने उसके मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में व्यक्त किया कि विवादग्रस्त भूमि सर्वे क्र0 161/2/6 रकवा 0.500 है0 उसके स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि है जिसका वन विभाग से कोई संबंध नहीं है और न कभी रहा है तथा विवादग्रस्त भूमि पर वह काबिज होकर कास्त करती चली आ रही है और उक्त भूमि पर उसके पूर्व उसके पिता कलुआ काबिज थे। वादी मुन्नीबाई के कथनों का समर्थन अन्य वादी साक्षी रामनिवास एवं रामसिंह ने भी किया है कि विवादग्रस्त भूमि वादी मुन्नीबाई के स्वामित्व व आधिपत्य की है।

14— वादी द्वारा उसके पक्ष समर्थन में किस्तबंदी खतौनी एवं खसरा वर्ष 2014-15 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.1 व 2, भूअधिकार ऋण पुस्तिका मूल प्र0पी5, किस्तबंदी खतौनी एवं खसरा वर्ष 2016-17 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी. 6 एवं 7 प्रस्तुत की है। वादी की ओर से प्रस्तुत उक्त दस्तावेजों का अवलोकन करने से दर्शित है कि खसरा खतौनी वर्ष 2014-15 वर्ष 2016-17 में भूमि स्वामी, कब्जेदार के रूप में मुन्नीबाई पुत्री कलुआ के नाम का उल्लेख है। भू अधिकार ऋण पुस्तिका प्र.पी. 5 में भी विवादग्रस्त भूमि मुन्नीबाई के नाम पर दर्ज होने का उल्लेख है। जबकि प्रतिवादीगण क्र0 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत जबाब दावे एवं प्रतिवादी साक्षी दौलतराम प्र0सा01 एवं पहलवान सिंह धाकड प्र0सा02 ने उनके मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया कि विवादग्रस्त भूमि वन विभाग के कक्ष क्र0 पीएफ 89 की है जिसपर वादी मुन्नी बाई ने अतिक्रमण किया है।

15— मूलशंकर बनाम स्टेट ऑफ गुजरात ए.आई.आर 1994 एससी पेज 1496 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजस्व संबंधी दस्तावेजों को स्वत्व संबंधी प्रलेख नहीं माना है। विष्णुशरण व अन्य बनाम अयोध्या बाई 2003 म0प्र0 लॉ जनरल पेज 25 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत प्रकट किया गया है कि वादी को ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करके अपना हक साबित करना होगा। खसरा प्रविष्टियों से केवल उसकी यथार्ता का उपधारणात्मक मूल है तथा खसरा प्रविष्टियों के आधार पर हक उपधारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह संपोषक साक्ष्य है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि प्रतिवादी की किसी दुर्बलता के आधार पर वादी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वादी को स्वयं अपने बल पर दावा प्रमाणित होता है। एम.पी. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य वि0 संजीव भास्कर एवं अन्य, 2013 "3" सी.जी.एल.जे. 525 "एससी" में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत दिया गया है कि मूल पट्टाधारी की मृत्यु हो जाने से उसके बारिसों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं।

16— इस प्रकार उपरोक्तानुसार किये गये विश्लेषण के आधार पर केवल खसरा खतौनी एवं भू अधिकार ऋण पुस्तिका में प्रविष्टि के आधार पर वादी को विवादग्रस्त भूमि का स्वामी घोषित नहीं किया जा सकता। वादी द्वारा उसके अभिवचनों में बताया है कि वादी विवादग्रस्त भूमि सर्वे क्र० 161/2/6 रकबा 0.500 है० जिसपर वादी उसके पिता के समय से काबिज है, परन्तु वादी द्वारा प्रकरण में केवल वर्ष 2014-15 का खसरा, खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी. 1 एवं 2 तथा वर्ष 2016-17 की किस्तबंदी खतौनी एवं खसरा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी. 6 एवं 7 पेश किया है जिसमें वादी का नाम उक्त विवादग्रस्त भूमि के संबंध में कब्जेदार के रूप में अंकित है।

17— विधि का यह सुस्थापित नियम है कि आधिपत्य प्रमाणित करने के लिये निरंतर आधिपत्य होना चाहिए यदि वादी उक्त विवादग्रस्त भूमि पर पुस्तैनी रूप से काबिज है तो वादी को अपना आधिपत्य स्थापित प्रमाणित करने के लिये निरंतर आधिपत्य उक्त विवादग्रस्त भूमि पर होने के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए थे जो वादी द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इस प्रकार वाद प्रश्न क्र० 1 के संबंध में यह प्रमाणित नहीं है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे नम्बर क्र० 161/2/6 रकबा 0.500 है० का वादी मुन्नीबाई स्वत्वधारी है एवं न ही यह प्रमाणित है कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य है अतः वाद प्रश्न क्र० 2 का निराकरण **प्रमाणित नहीं** के रूप में किया जाता है। जहां कि वादप्रश्न क्र० 2 के निराकरण में वादी का विवादग्रस्त भूमि पर स्वामित्व एवं आधिपत्य प्रमाणित नहीं है एवं प्रतिवादी क्र० 1 व 2 की ओर से उक्त विवादग्रस्त भूमि को वन विभाग की होना बताया है एवं वादी मुन्नीबाई का उक्त भूमि पर अतिक्रमण होना व्यक्त किया है। ऐसी स्थिति में यह भी नहीं माना जा सकता कि प्रतिवादी क्र० 1 व 2 उक्त विवादग्रस्त भूमि पर हस्तक्षेप कर रहे हैं। अतः वादप्रश्न क्र० 3 का निराकरण भी **प्रमाणित नहीं** के रूप में किया जाता है।

वादप्रश्न क्र० 4:—

18— वादप्रश्न क्र० 4 को साबित करने का भार प्रतिवादी क्र० 1 व 2 में निहित है। प्रतिवादी क्र० 1 व 2 के अनुसार वादग्रस्त भूमि वन विभाग के कक्ष क्र० पीएफ 89 के अन्तर्गत आती है, जिसके संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से पंचनामा प्र.डी.1 वन विभाग का नक्शा प्र.डी.2, कक्ष इतिहास की छायाप्रति, कक्ष इतिहास के नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी. 3, गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.डी. 5 एवं कार्यालय वन व्यवस्थापन मुरैना की छायाप्रति प्रस्तुत की है।

19— प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में प्रतिवादी क्र० 1 व 2 की ओर से कोई प्रतिदावा प्रस्तुत किया है और न ही इस संबंध में न्यायालय शुल्क अदा किया है। यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जावे कि उक्त विवादग्रस्त भूमि वन विभाग के कक्ष क्रमांक पीएफ 89 बीट महोली के अन्तर्गत आती है तब भी प्रतिवादी क्र० 1 व 2 के प्रतिदावा एवं न्यायालय शुल्क के आभाव में प्रतिवादी क्र० 1 व 2 के संबंध में कोई सहायता प्रदान नहीं की जा सकती है। अतः वाद प्रश्न क्र० 4 का निराकरण **प्रमाणित नहीं** के रूप में किया जाता है।

वादप्रश्न क्र० 5:—
सहायता एवं व्यय

20— उपरोक्तानुसार किये गये विधिगत एवं तथ्यगत विशलेषण के उपरान्त अभिप्राप्त निष्कर्ष के आधार पर वादी उसका वाद प्रमाणित करने के असफल रही है कि ग्राम महोली तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्र० 161/2/6 रकबा 0.500 है। भूमि का वादी के पिता कलुआ को पट्टा हुआ था। यह प्रमाणित करने में असफल रही है कि वादी उक्त विवादग्रस्त भूमि की स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है। यह प्रमाणित करने में भी असफल रही है कि प्रतिवादी क्र० 1 व 2 द्वारा विवादग्रस्त भूमि में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है। फलतः वादी का वाद निरस्त किया जाता है।

21— वादी स्वयं का एवं प्रतिवादीगण का वाद व्यय वहन करेगी।

22— अभिभाषक शुल्क की राशि भुगतान के प्रमाणीकरण के आदेश नियत 523 म०प्र० सिविल न्यायालय नियमानुसार संगणित की जावे या जो वास्तविक भुगतान किया गया हो या जो न्यून हो व्यय में जोड़ा जावे।

तदनुसार आज्ञाप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
दिनांकित घोषित कर किया गया।

साजिद मोहम्मद
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
चंदेरी जिला अशोकनगर म०प्र०

साजिद मोहम्मद
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
चंदेरी जिला अशोकनगर म०प्र०